संख्या-188/2023/1208ई/23-11-2023/004-1-2-129-2020टी0सी0

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4727/CE-HQ1/ISC/BAN/2023-24, दिनांक 09-06-2023 एवं पत्र संख्या-4745/CE-HQ1/ISC/AGR/2023-24, दिनांक 11-06-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 02 चालू कार्यो पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1047.05 लाख (रूपये दस करोड़ सैतालिस लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नि0ख0-1 बांदा	जनपद बांदा में बांदा-नरैनी-कलिंजर मार्ग से गिरवा गोहण्डिया की पुलिया होते हुए स्वो घाट (मध्य प्रदेश की सीमा) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 6.90 कि0मी0)।	1635.53 1635.53 1190.76 38.00 1597.53	1550.48	47.05
2	प्रा0ख0 आगरा	जनपद आगरा में आगरा बाह कचौरा घाट मार्ग के कि0मी0 81 से जैतपुर कलां नन्दावां पिनाहट तासौड़ (राजस्थान सीमा) मार्ग (चैनेज 0.000 से 39.050 तक, लम्बाई 39.05 कि0मी0) को दो लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	6001.10 6001.10 4192.73 127.26 5873.84	4384.84	1000.00
योग:-					**1047.05**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-03-2023 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,47,05,000(रूपये दस करोड़ सैतालिस लाख पॉच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 505404337 1700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

संख्या-188/2023/1208ई(1)/23-11-2023/004-1-2-129-2020टी0सी0-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।